

निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 64/अपील/20

शिवलाल भील आ0 कान्हा भील आयु 58 वर्ष जाति भील नि0 शिवपुरा
तहसील बकानी(अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बकानी

(रेस्पो0)



अपील बनाराजी न्यायालय तहसीलदार बकानी प्रकरण संख्या
467/20 दिनांक: 16.09.2020

उपस्थित— श्री अभितोष आचार्य अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :-

दिनांक: 19.07.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 16.09.2020 जो मिसल न0 467/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम शिवपुरा की आराजी ख0न0 298 किस्म चरागाह की 01 बिस्वा आराजी पर अतिक्रमी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 03 रुपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एवं विधि के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्ष रखने का समय नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार तनकनियात कायम कर निर्णय देना चाहिये था अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पूर्व में बेदखल किया गया हो ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट द्वारा जुर्माना जमा करवा दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पटवारी के बयान पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं जो सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है। धारा 91 की कार्यवाही में अतिक्रमी को बेदखली बाबत कोई रिकार्ड पत्रावली पर नहीं है, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने पर ही सजा के प्रावधान है। अपीलान्ट द्वारा जुर्माना जमा करवा दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर कच्चा मकान का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न0 1285 निर्णय दिनांक 04.10.2019 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कब्जा रिपोर्ट अनुसार मकान निर्माण कर कब्जा यथावत अनुसार भी अपीलान्ट द्वारा आराजी पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जाना साबित है। उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उचित नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)

जिला कलक्टर
झालावाड़